

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मामला सं. 383 और वर्ष 2018

मैसर्स गोकुल कृषि कॉलोनाइजर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा.लि. पंजी. कार्यालय-36, लक्ष्मीनारायण विहार,
गणपतपुरा वाया मांग्यावास, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर

विषय:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग
हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आवेदक

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:-

- ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

आदेश

दिनांक 23-2-18

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हैक्टर में	किसम जमीन	स्वामित्व
तहसील-सांगनेर जिला-जयपुर	चतरपुरा	58/1	0.7205	बारानी 2	मैसर्स गोकुल कृषि कॉलोनाइजर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा.लि. पंजी. कार्यालय-36, लक्ष्मीनारायण विहार, गणपतपुरा वाया मांग्यावास, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर
		59/2	0.1735 में से रकबा 0.0795 हैक्टर	बारानी 2	
		58/644	0.03	बारानी 2	
		64	0.50	बारानी 2	
		91	0.9675	बारानी 1	
		91/1	0.3225	बारानी 1	
		92	0.49	बारानी 1	
		93	0.25	बारानी 1	
		94/686	0.03	बारानी 1	
		108	1.11	बारानी 2	
		110	0.19	बारानी 2	
		111/658	0.09	बारानी 2	
		112	0.38	बारानी 2	
		113	1.39	बारानी 2	
		114	1.63	बारानी 2	
		127/626	0.14	बारानी 2	
		127	0.76	बारानी 2	
		279/2	0.13	बारानी 1	
		284/1	0.22	बारानी 1	
		285/1	0.02	बारानी 1	
		287	0.55	बारानी 1	
		कुल किता	कुल रकबा		
		21	10.00 हैक्टर		
		-			

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने सबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के जोन-11 अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोनर के खसरा नम्बर 58/1 रकवा 0.7205 हैक्ट. ख.नं. 59/2 रकवा 0.1735 हैक्ट. में से रकवा 0.0795 हैक्ट. ख.नं. 58/ 644 रकवा 0.03 हैक्ट. ख. नं. 64 रकवा 0.50 हैक्ट. ख.नं. 91 रकवा 0.9675 हैक्ट. ख.नं. 91/1 रकवा 0.3225 हैक्ट. ख.नं. 92 रकवा 0.49 हैक्ट. ख.नं. 93 रकवा 0.25 हैक्ट. ख.नं. 94/ 686 रकवा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 108 रकवा 1.11 हैक्ट. ख.नं. 110 रकवा 0.19 हैक्ट. ख.नं. 111/ 658 रकवा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 112 रकवा 0.38 हैक्ट. ख.नं. 113 रकवा 1.39 हैक्ट. ख.नं. 114 रकवा 1.63 हैक्ट. ख.नं. 127/ 626 रकवा 0.14 हैक्ट. ख.नं. 127 रकवा 0.76 हैक्ट. ख.नं. 279/2 रकवा 0.13 हैक्ट. ख.नं. 284/1 रकवा 0.22 हैक्ट. ख.नं. 285/1 रकवा 0.02 हैक्ट. ख.नं. 287 रकवा 0.55 हैक्ट. कुल किता 21 कुल रकवा 10.00 हैक्ट. में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्यवनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निष्केप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निवंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
7. यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सचिव, जविप्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात् जारी किया जा रहा है। यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23-2-18 को पारित किया गया।



सचिव (सुरेन्द्र सिंह यादव) अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जयपुर

दिनांक 23-2-18

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-11/2017/0-788

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी—

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र को उनके पंजीयन क्रमांक 318223 दिनांक 6.2.18 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।